भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

क्रमांक 1/3/2002-प्रशासन.II(सीजीएचएस)पीटी/ई.118974 **दिनांक: 25/07/2025**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पर कर की देयता प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण (गैर-सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियम) और सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों के भुगतान पर टीडीएस की कटौती - के संबंध में।

आईसीएमआर-एनआईई, चेन्नई से दिनांक 25 अप्रैल 2024 के पत्र संख्या एनआईई/स्थापना/आयकर/2024-25 प्राप्त पत्र का अवलोकन करें, जिसमें आईसीएमआर-एनआईई के कर्मचारियों को भुगतान किए गए चिकित्सा व्यय (गैर-सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियम) की प्रतिपूर्ति पर कर देयता की प्रयोज्यता और कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं के लिए एमओयू वाले सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों को किए गए भुगतान पर टीडीएस के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मामले की विस्तार से जांच की गई है, तथा सूचना एवं अनिवार्य अनुपालन हेतु निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

1. कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (गैर-सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियम): दिनांक 20.02.1987 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 481 [एफ. संख्या 200/14/86-आईटी (एआई)] बिंदु संख्या 2(ii)(ए) के अनुसार, कर्मचारियों को गैर-सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियमों के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii) के अनुसार 'वेतन' शीर्ष के तहत एक अनुलाभ या 'आय' के रूप में नहीं माना जाता है। तदनुसार, ऐसी प्रतिपूर्ति वेतन शीर्ष के तहत आयकर को नहीं लगेगा।
2. सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल को भुगतान: यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों को भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194जे के तहत टीडीएस काटना आवश्यक है।

इसे सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है

(जगदीश राजेश)
उप महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव
2. सभी निदेशक/ निदेशक प्रभारी
3. उप महानिदेशक (प्रशासन)/अपर महानिदेशक (प्रशासन)
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कक्ष, परिषद मुख्यालय
5. डॉ. एम.एस. चाल्गा, वैज्ञानिक-डी, आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 4911,
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029, भारत
V. Ramalingaswami Bhawan, P.O. Box No. 4911,

Tel: +91-11-26588895 / 26588980 / 26589794
+91-11-26589336 / 26588707
Fax: +91-11-26588662 | icmr.nic.in